

डबल सुरक्षा ग्राहक सूचना पत्रक

बीमित व्यक्ति के लिए निर्देश:

- यह दस्तावेज़ आपकी पॉलिसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पॉलिसी दस्तावेज़ और पॉलिसी शेड्यूल को ध्यान से पढ़ें।
- आईआरडीआई (प्राधिकरण) के निर्देशानुसार, बीमाधारक को ग्राहक सूचना पत्र प्राप्त होने पर पावती प्रदान करना आवश्यक है।

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
1	बीमा उत्पाद का नाम	डबल सुरक्षा	
2	पॉलिसी नंबर	XXXXXX	
3	बीमा उत्पाद का प्रकार	इन्डेमिटी और लाभ दोनों	
4	बीमित धनराशि आधार	एकल व्यक्ति बीमित धनराशि - XXXXX फ्लोटर बीमित धनराशि - XXXXX	
5	पॉलिसी कवरेज	दुर्घटना अस्पताल नकद लाभ के अलावा 24 घंटे से अधिक रोगी यदि अस्पताल में भर्ती रहा हो तो उसे भर्ती किए जाने संबंधी व्यय	2.ए.1
		बीमारी अस्पताल नकद - चिकित्सा / शल्य चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से किसी भी बीमारी / रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर, कंपनी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक 24 घंटे के लिए XXXX की अस्पताल नकद राशि का भुगतान करेगी, जो अधिकतम XXXX दिनों की संख्या पर निर्भर है।	2.ए.1
		दुर्घटना अस्पताल नकद - चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से किसी चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर, कंपनी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक 24 घंटे के लिए बीमारी अस्पताल नकद राशि का दोगुना भुगतान करेगी, जो अधिकतम XXXX दिनों की संख्या के अधीन है।	2.ए.2
		आईसीयू नकद - चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपचार के उद्देश्य से किसी बीमारी/रोग/चोट के कारण अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती होने पर, कंपनी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक 24 घंटे के लिए बीमारी अस्पताल नकद राशि का दोगुना भुगतान करेगी, जो अधिकतम 7 दिनों तक हो सकता है।	2.ए.3
		आयुष उपचार - हम आयुष उपचार के अंतर्गत लिए गए उपचार पर पॉलिसी अवधि के दौरान इनपेशेंट देखभाल के लिए किए गए आपके चिकित्सा व्यय को कवर करेंगे।	

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (तत्कालीन मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) | www.magmainsurance.com | ईमेल: customercare@magmainsurance.com | टोल फ्री नं.: 1800 266 3202 | पंजीकृत कार्यालय: इक्विनॉक्स बिज़नेस पार्क, टॉवर 3, आंबेडकर नगर, दूसरी मंज़िल, यूनिट नंबर 1बी और 2बी, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070, महाराष्ट्र, भारत | CIN: U66000MH2009PLC460693 | IRDAI Reg. No. 149 | डबल सुरक्षा | प्रोडक्ट UIN: MAGHLIP25035V012425 | ऊपर प्रदर्शित किए गए ट्रेड लोगो मैग्मा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा इनका इस्तेमाल लाइसेंस के अंतर्गत किया गया है। हमारी वेबसाइट पर MIRA से चैट करें या वॉट्सएप नंबर 7208976789 पर "Hi" कहें। (CIS.DS.ver28.11.25)

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		वैकल्पिक कवर	
		स्वास्थ्य लाभ – यदि बीमित व्यक्ति को पॉलिसी अवधि के दौरान किसी बीमारी/चोट के चिकित्सकीय रूप से आवश्यक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और ऐसे अस्पताल में भर्ती रहना चिकित्सकीय रूप से कम से कम लगातार 5 दिनों के लिए आवश्यक है, तो हम 7,000 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करेंगे।	2.बी.1
		डे केयर उपचार – यदि बीमित व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से आवश्यक 10 सूचीबद्ध डे केयर उपचार की आवश्यकता होती है और वह इसका लाभ उठाता है, तो हम एकमुश्त लाभ राशि का भुगतान करेंगे जो कि पॉलिसी वर्ष में केवल पांच बार ऐसे डे केयर उपचार के लिए बीमारी अस्पताल नकद राशि से दोगुनी होगी, बशर्ते बीमित व्यक्ति ऐसे डे केयर उपचार के लिए 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती हो।	2.बी.2
		प्रसव अस्पताल – यदि बीमित व्यक्ति (केवल महिला बीमित व्यक्ति पात्र हैं) को प्रसव के उद्देश्य से भारत के किसी भी अस्पताल में एक आंतरिक रोगी के रूप में चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल की आवश्यकता होती है और वह इसका लाभ उठाता है, तो कंपनी 2 प्रसवों के लिए अस्पताल में भर्ती रहने के 24 घंटे की प्रत्येक निरंतर और पूर्ण अवधि के लिए एकमुश्त बीमारी अस्पताल नकद राशि का भुगतान करेगी।	2.बी.3
		विश्वव्यापी अस्पताल – यदि बीमित व्यक्ति को किसी आपात स्थिति में भारत के बाहर किसी अस्पताल में भर्ती रोगी के रूप में चिकित्सकीय रूप से आवश्यक उपचार की आवश्यकता होती है, तो हम बीमारी के अस्पताल के लिए 3 गुना नकद या एकमुश्त 15,000 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान करेंगे, जो अस्पताल में भर्ती रहने के 24 घंटे की प्रत्येक निरंतर और पूर्ण अवधि के लिए अधिकतम XXXXX दिनों की संख्या पर निर्भर होगा।	2.बी.4
		सहयोगी लाभ – यदि बीमित व्यक्ति को भारत के किसी भी अस्पताल में भर्ती रोगी के रूप में चिकित्सकीय आवश्यकता होती है और वह इसका लाभ उठाता है, तो हम अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान बीमित व्यक्ति की देखभाल के लिए उसके साथ आने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये की अतिरिक्त एकमुश्त राशि का भुगतान करेंगे।	2.बी.5
		अनुकंपा लाभ – यदि बीमित व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी दुर्घटना के कारण पूरी तरह से और सीधे चोट लगती है और पॉलिसी अवधि के दौरान आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होती है, तो हम बीमित व्यक्ति या उसके नामित व्यक्ति को रु. XXXXX की राशि का भुगतान करेंगे।	2.बी.6
		अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च – हम आपके अस्पताल में भर्ती होने की तारीख से तुरंत पहले और अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद, किसी चोट या बीमारी के संबंध में आपके द्वारा किए गए प्रासंगिक पूर्व और बाद के चिकित्सा खर्चों को कवर करेंगे, फिर कंपनी एकमुश्त भुगतान के रूप में बीमारी अस्पताल नकद का भुगतान करेगी।	2.बी.7

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		स्वास्थ्य देखरेख लाभ - यह कवर आपको नीचे दी गई सीमा तक अपने बिल की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में मदद करता है। बीमा राशि 5,000 प्रति दिन से कम होने पर, बीमारी के लिए अस्पताल नकद नेत्र रोग विशेषज्ञ परामर्श, निदान और उपचार के लिए एक विजन केयर ओपीडी, अधिकतम 1000 रुपये। अस्थि रोग परामर्श, निदान और उपचार के लिए दो अस्थि रोग देखभाल ओपीडी, अधिकतम 1500 रुपये। प्रत्येक मामले के लिए। 5,000 रुपये प्रतिदिन या उससे अधिक की बीमित राशि के लिए, बीमारी के अस्पताल में नकद राशि। नेत्र रोग विशेषज्ञ परामर्श, निदान और उपचार के लिए एक विजन केयर ओपीडी, अधिकतम 1000 रुपये। हड्डी रोग परामर्श, निदान और उपचार के लिए दो ऑर्थोपेडिक केयर ओपीडी, प्रत्येक बार अधिकतम 1500 रुपये। फिजियोथेरेपी परामर्श और उपचार के लिए तीन फिजियोथेरेपी केयर सत्र, प्रत्येक बार अधिकतम 1000 रुपये।	2.बी.8
		कटौती योग्य दिनों में कमी - यह कवर बीमित व्यक्ति को कटौती योग्य दिनों को घटाकर 0 दिन करने की अनुमति देता है।	2.बी.9
		कटौती योग्य दिनों में वृद्धि - यह कवर बीमित व्यक्ति को कटौती योग्य दिनों को XXXXX तक बढ़ाने की अनुमति देता है।	2.बी.10
		आईसीयू लाभ के लिए अधिकतम दिनों में वृद्धि - यह कवर बीमित व्यक्ति को कटौती योग्य दिनों को 15 दिनों तक बढ़ाने की अनुमति देता है।	2.बी.11
		पहले से मौजूद बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि में कमी - यह कवर बीमित व्यक्ति को पहले से मौजूद बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर 24 महीने करने की अनुमति देता है।	2.बी.12
		नामित बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि में कमी - यह कवर बीमित व्यक्ति को नामित बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर 12 महीने करने की अनुमति देता है।	2.बी.13
6	जो शामिल नहीं हैं	मानक रूप में जो शामिल नहीं हैं • अन्वेषण सी मूल्यांकन (कोड ईएक्ससीएल 04) • विश्राम, उपचार, पुनर्वास और राहत देखभाल (कोड ईएक्ससीएल 05) • लिंग परिवर्तन उपचार (कोड ईएक्ससीएल 07) • कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी (कोड ईएक्ससीएल 08) • खतरनाक या साहसिक खेल: (कोड- ईएक्ससीएल 09) • कानून का उल्लंघन (कोड ईएक्ससीएल 10) • बहिष्कृत प्रदाता (कोड ईएक्ससीएल 11) • शराब, नशीली दवाओं या मादक द्रव्यों के सेवन या किसी भी व्यसनकारी स्थिति और उसके परिणामों का उपचार। (कोड- ईएक्ससीएल 12)	धारा 3

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		- स्वास्थ्य केंद्रों, प्राकृतिक चिकित्सा क्लीनिकों, स्पा या इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठानों या ऐसे प्रतिष्ठानों से जुड़े नर्सिंग होम के रूप में पंजीकृत निजी अस्पतालों में प्राप्त उपचार या जहाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से घरेलू कारणों से भर्ती की व्यवस्था की गई हो। कोड- ईएक्ससीएल 13 - आहार पूरक और पदार्थ जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदा जा सकता है, जिनमें विटामिन, खनिज और कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, जब तक कि अस्पताल में भर्ती होने के दावे या डे केयर प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किसी चिकित्सक द्वारा निर्धारित न किया गया हो। कोड- ईएक्ससीएल 14 - अपवर्तक त्रुटि (कोड ईएक्ससीएल 15) - अप्रमाणित उपचार (कोड ईएक्ससीएल 16) - सन्तानहीनता और बांझपन (कोड ईएक्ससीएल 17) - प्रसूति व्यय (कोड ईएक्ससीएल 18) - मोटापा/वजन नियंत्रण (कोड ईएक्ससीएल 06) बहिष्कृत विशिष्ट: - कोई वैकल्पिक उपचार - अस्पताल में रहने से संबंधित वे शुल्क जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अस्पताल द्वारा किसी भी मद में लगाए गए सेवा शुल्क। इन बहिष्कृत खर्चों की पूरी सूची इस पॉलिसी के अनुलग्नक II में दी गई है। यह सूची हमारी वेबसाइट www.magmaininsurance.com पर उपलब्ध है। - किसी भी बीमारी या चोट के लिए किए गए अस्पताल में भर्ती / डे केयर उपचार की किसी भी अवधि से संबंधित किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा रिकॉर्ड, उपचार या बीमारी / चोट से संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए किए गए किसी भी शुल्क। - खतना, जब तक कि किसी बीमारी या रोग के उपचार के लिए आवश्यक न हो या किसी दुर्घटना के कारण आवश्यक न हो। - परमाणु या रासायनिक संदूषण, युद्ध, दंगा, क्रांति या आतंकवादी कृत्यों (प्राकृतिक आपदा या विपत्ति के अलावा) के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी बीमारी या चोट का उपचार। - किसी भी बाह्य जन्मजात विसंगति के लिए उपचार। - दंत चिकित्सा उपचार जिसमें मसूड़ों की बीमारी या क्षति से संबंधित हड्डी रोग के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं, या टेम्पोरोमैडिबुलर जोड़ के विकारों के लिए उपचार, या उनसे उत्पन्न उपचार शामिल हैं। अपवाद: हम उस शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के लिए भुगतान करेंगे जिसमें बीमित व्यक्ति दुर्घटना के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होता है और जो अस्पताल में भर्ती रोगी की देखभाल के लिए की जाती है तथा एक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाती है।	

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		- ओपीडी उपचार के मामले में या बीमित व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी के बाद घर ले जाने के लिए दी जाने वाली या निर्धारित कोई भी दवा या सर्जिकल ड्रेसिंग, किसी भी स्थिति के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद की स्थिति को छोड़कर। - हम नियमित नेत्र परीक्षण, कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मों के लिए भुगतान नहीं करेंगे। - हम श्रवण यंत्रों, डेन्चर और कृत्रिम दांतों के लिए भुगतान नहीं करेंगे। - अस्पताल में भर्ती होने से पहले या बाद में निजी नर्सिंग/अटेंडेंट के खर्च। - ऐसी दवाएँ या उपचार जो डॉक्टर के पर्चे द्वारा समर्थित न हों। - स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य जाँच जारी करना। - अस्पताल में भर्ती/बीमारी की किसी भी अवधि से संबंधित किसी भी उपचार/बीमारी से संबंधित दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए किए गए कोई भी शुल्क। - निदान और/या उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले बाहरी और/या टिकाऊ चिकित्सा/गैर-चिकित्सा उपकरण - चलने-फिरने के उपकरण, वॉकर, बैसाखी, बेल्ट, कॉलर, टोपी, स्प्लिंट, स्लिंग, ब्रेसिंग, किसी भी प्रकार के मोजे, मधुमेह के जूते, ग्लूकोमीटर/थम मीटर और कोई भी चिकित्सा उपकरण जो बाद में घर पर उपयोग किया जाता है। - ओपीडी उपचार कवर नहीं किया जाता है। - सभी निवारक देखभाल, टीकाकरण जिसमें टीकाकरण और प्रतिरक्षण शामिल हैं। - जानबूझकर खुद को पहुँचाई गई चोट का उपचार, या उससे उत्पन्न चोट, जिसमें आत्महत्या का प्रयास भी शामिल है। - नपुंसकता (कारण चाहे जो भी हो) या स्तंभन दोष सहित किसी भी यौन समस्या का उपचार। - एचआईवी/एड्स को छोड़कर किसी भी यौन संचारित रोग का उपचार, जिसमें जननांग मस्से, सिफलिस, गोनोरिया, जननांग हर्पीज, क्लैमाइडिया, जघन जूँ और ट्राइकोमोनिऐसिस शामिल हैं। - स्लीप एपनिया, खरोंटे, या नींद से संबंधित किसी अन्य श्वास संबंधी समस्या का उपचार। - भारत के बाहर प्राप्त कोई भी उपचार। - किसी ऐसे चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया उपचार जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।	

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		- बीमित व्यक्ति के घर में रहने वाले या बीमित व्यक्ति के परिवार के निकटतम सदस्य द्वारा प्रदान किया गया उपचार। - एक्स-रे या प्रयोगशाला परीक्षण या अन्य नैदानिक अध्ययन, जो किसी बीमारी या चोट के सकारात्मक अस्तित्व या उपस्थिति के निदान और उपचार के अनुरूप या प्रासंगिक न हों, चाहे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो या न हो। - किसी भी प्रकार की गति प्रतियोगिता या रेसिंग (पैदल के अलावा), बंजी जंपिंग, पैरासेलिंग, बैलूनिंग, पैराशूटिंग, स्काइडाइविंग, पैराग्लाइडिंग, हेंग ग्लाइडिंग, गाइड या रस्सियों के उपयोग की आवश्यकता वाले पहाड़ या चट्टान पर चढ़ने, पोथोलिंग, एबसिलिंग, हार्ड हेलमेट और श्वास उपकरण का उपयोग करके गहरे समुद्र में गोताखोरी, पोलो, बर्फ और बर्फ के खेल या नौसेना सैन्य या वायु सेना ऑपरेशन से संबंधित होने से उत्पन्न कोई भी उपचार। - नियमित अनुसूचित एयरलाइन या एयर चार्टर कंपनी में किराया देने वाले यात्री के रूप में उड़ान भरने या हवाई गतिविधियों (केबिन सहित) में भाग लेने से उत्पन्न होने वाला कोई भी उपचार। अनुकंपा लाभ अनुभाग के अंतर्गत निर्दिष्ट लाभ के संबंध में निम्नलिखित बहिष्करण लागू होंगे। यह पॉलिसी निम्नलिखित के कारण होने वाली किसी भी चोट के परिणामस्वरूप हुई किसी भी मृत्यु, विकलांगता, व्यय या हानि के लिए लाभ प्रदान नहीं करती है: - शराब के दुरुपयोग या दुरुपयोग सहित किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों के दुरुपयोग या दुरुपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली नशे की स्थिति और विकारों से संबंधित चोट या उपचार। - खतरनाक गतिविधियों में भागीदारी। - बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करना या किसी दंगे, नागरिक उपद्रव या गंभीर अपराध में भाग लेना। - जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, पागलपन या तनाव। - किसी बीमारी या संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति, जब तक कि वह सीधे और पूरी तरह से दुर्घटना के कारण उत्पन्न न हो। - पॉलिसी की शुरुआत के बाद पेशे में कोई भी परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप जोखिम में वृद्धि होती है, जब तक कि बीमित व्यक्ति द्वारा घोषित न किया जाए और हमारे द्वारा अनुमोदित न किया जाए। - कोई भी यौन संचारित रोग। - गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित या उससे संबंधित। - विश्व में किसी भी अनुसूचित एयरलाइन्स में यात्री (किराया देकर या अन्यथा) के अलावा किसी गुब्बारे या विमान में चढ़ते, उतरते या यात्रा करते समय या किसी भी विमान में, चाहे वह निजी स्वामित्व वाला हो या चार्टर्ड हो या अनुसूचित एयरलाइन्स द्वारा संचालित हो।	

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		- बीमित व्यक्ति जो किसी विमान का संचालन कर रहा हो या संचालन सीख रहा हो या किसी विमान या अनुसूचित एयरलाइन्स पर चालक दल के सदस्य के रूप में या किसी एयरलाइन कार्मिक के रूप में कर्तव्यों का पालन कर रहा हो। - युद्ध या युद्ध जैसे ऑपरेशन, गृहयुद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मनों की कार्रवाई, क्रांति, विद्रोह, गदर, आतंकवाद, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, किसी सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके आदेश के तहत बंदी बना लिया जाना, पकड़ लिया जाना, गिरफ्तारी, रोक कर रखा जाना या नजरबंदी, जब्त कर लिया जाना, या राष्ट्रीयकृत या अधिग्रहीत कर लिया जाना। - परमाणु, रासायनिक, जैविक आतंकवाद का कोई भी कृत्य, चाहे किसी अन्य कारण या सहवर्ती घटना के कारण या किसी अन्य क्रम में नुकसान हुआ हो। - रेडियोधर्मी, रासायनिक, परमाणु संदूषण, या आयनकारी विकिरण। - किसी भी बीमित व्यक्ति की नौसेना, वायु सेना या सैन्य अभियानों या किसी अर्धसैनिक बल की किसी भी शाखा में भागीदारी या संलिप्तता। - भूमिगत खदानों, सुरंगों या विस्फोटकों में काम करना, या उच्च वोल्टेज आपूर्ति के साथ विद्युत स्थापना में शामिल होना, या जॉकी या सर्कस कार्मिक के रूप में काम करना, या खतरनाक गतिविधियों में संलग्न होना। - बीमित व्यक्ति द्वारा बताई गई मौजूदा बीमारियाँ (अध्याय IV, स्वास्थ्य बीमा अनुबंधों में बहिष्करण के मानकीकरण पर दिशानिर्देश, 2019 के अनुरूप), बशर्ते कि इसे अंडरराइटिंग में लागू किया गया हो और आप/बीमित व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो। नोट: ऊपर दी गई सूची पॉलिसी के बहिष्करणों की आंशिक सूची है। बहिष्करणों की पूरी सूची के लिए कृपया पॉलिसी के शब्दों को देखें।	
7	प्रतीक्षा अवधि	- पहले तीस दिनों की प्रतीक्षा अवधि (कोड – ईएक्ससीएल 03): सभी बीमारियों के लिए 30 दिन (लगातार नवीनीकरण या दुर्घटनाओं के मामले में लागू नहीं) - विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि: 24 महीने (दुर्घटना के कारण होने वाले दावों के लिए लागू नहीं) - पहले से मौजूद बीमारियाँ (कोड – ईएक्ससीएल 01): 36 महीनों के बाद कवर किया जाता है - प्रसव अस्पताल नकद: 24 महीनों के बाद कवर किया जाता है	धारा 3
8	कवरेज की वित्तीय सीमाएँ	कटौती योग्य दिन XXXXX का खर्च बीमित व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा	

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
9	दावे / दावा प्रक्रिया	दावा उपचार की सूचना: हमें निम्नलिखित के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है: 1) यदि कोई ऐसा उपचार जिसके लिए दावा किया जा सकता है और उस उपचार के लिए नियोजित अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता है: बीमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने से कम से कम 48 घंटे पहले। 2) यदि कोई ऐसा उपचार जिसके लिए दावा किया जा सकता है और उस उपचार के लिए आपातकालीन अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता है, तो बीमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर। आवश्यक समय के भीतर ऐसी सूचना न देने पर कोई भी दावा अमान्य या कम नहीं होगा, यदि आप हमें यह विश्वास दिला सकें कि आपके लिए उस समय के भीतर ऐसी देरी का प्रमाण देना उचित रूप से संभव नहीं था। कंपनी इन समय-सीमाओं में केवल विशेष परिस्थितियों में और बीमित व्यक्ति के नियंत्रण से परे कारणों से ही छूट दे सकती है। • https://www.magmainsurance.com/web/magmainsurance/downloads से दावा डाउनलोड करें। दावा प्रस्तुत करना: बीमित व्यक्ति सभी संबंधित दावा दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा, और दावों का निपटारा या अस्वीकृति, जैसा भी हो, सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर (अपेक्षित दस्तावेज़ों के साथ) कर दी जाएगी। दावा दस्तावेज़: • विधिवत भरा और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र (https://www.magmainsurance.com/downloads से डाउनलोड किया जा सकता है) • डिस्चार्ज सारांश की प्रति • अस्पताल के बिल विवरण की प्रति • पॉलिसीधारक/नामांकित व्यक्ति (मृत्यु की स्थिति में इस पर छपे नाम सहित) की रद्द चेक प्रति • केवाईसी (सरकार द्वारा अनुमोदित फोटो पहचान पत्र और पते का प्रमाण) • दावे की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज़। अनुकंपा लाभ: दुर्घटना मृत्यु: • दावा प्रपत्र • मृत्यु प्रमाण पत्र • मूल बिलों के साथ जाँच रिपोर्ट • प्राथमिकी प्रति, पोस्टमार्टम प्रति • बीमित व्यक्ति और नामित व्यक्ति का पहचान पत्र • पैन कार्ड/फॉर्म 60, सीकेवाईसी फॉर्म और नामित व्यक्ति का पता प्रमाण • छपे नाम सहित रद्द चेक प्रति • अस्पताल या चिकित्सक या अन्य से प्राप्त चिकित्सा रिकॉर्ड, जानकारी और साक्ष्य • हमारे द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज़ आपके खर्चे पर उपलब्ध कराए जाएँगे। (कुछ मामलों में अपेक्षित हो सकते हैं)	धारा 5.3

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		स्थायी पूर्ण विकलांगता: - विधिवत भरा और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र - घायल और बीमित व्यक्ति दोनों के पैन कार्ड/आधार कार्ड की प्रति - विकलांगता की पुष्टि करने वाला उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र - चोट की तस्वीरें। - एक्स-रे फिल्म सहित सभी चिकित्सा दस्तावेजों के साथ डिस्चार्ज सारांश की मूल प्रति - एनईएफटी विवरण (रद्द चेक की प्रति) - भुगतान प्रमाणों के साथ सभी चिकित्सा बिलों की मूल प्रति। यदि चिकित्सा व्यय बीमित व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है, तो कृपया आवश्यक प्रमाण जैसे नकद वाउचर, लेज़र शीट आदि प्रदान करें। - यदि कोई हो, तो एफआईआर की प्रति - विधिवत भरा हुआ सीकेवाईसी फॉर्म अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च: ऊपर उल्लिखित दावा दस्तावेजों के अलावा, - अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च के बिल स्वास्थ्य देखरेख लाभ: - नेत्र रोग विशेषज्ञ: परामर्श पत्र, सभी नैदानिक रिपोर्ट और उपचार बिल - ऑर्थोपेडिक: परामर्श पत्र, सभी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और उपचार बिल - फिजियोथेरेपी: परामर्श पत्र और उपचार बिल दावा दस्तावेज़ जमा करने का पता: फैमिली हेल्थ प्लान इश्योरेंस टीपीए लिमिटेड, श्रीनिलय साइबर स्पेज़ियो, भूतल, रोड नंबर 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना – 500034 दावा सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 266 3202	
10	पॉलिसी सर्विसिंग	कंपनी अधिकारी: यदि बीमित व्यक्ति किसी भी तरह से पीड़ित है, तो वह हमसे इस पते पर संपर्क कर सकता है: ईमेल: Gro@magmainurance.com हमें इस पते पर कॉल करें: 1800 266 3202 पता: इक्विनॉक्स बिज़नेस पार्क, टॉवर 3, आंबेडकर नगर, दूसरी मंज़िल, यूनिट नंबर 1बी और 2बी, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई – 400 070, महाराष्ट्र, भारत।	धारा 4.1.16

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
11	शिकायतें	किसी भी शिकायत की स्थिति में, बीमित व्यक्ति वरिष्ठ नागरिकों सहित कोई भी व्यक्ति कंपनी से वेबसाइट: www.magmaininsurance.com के माध्यम से संपर्क कर सकता है। टोल-फ्री: 1800 266 3202 ईमेल: Gro@magmaininsurance.com फैक्स: 91 033 4401 7471 कूरियर: कार्य समय के दौरान हमारी किसी भी शाखा या कॉर्पोरेट कार्यालय से बीमित व्यक्ति अपनी शिकायत के विवरण के साथ कंपनी की किसी भी शाखा में स्थित शिकायत प्रकोष्ठ से भी संपर्क कर सकता है। यदि बीमित व्यक्ति उपरोक्त विधियों में से किसी एक के माध्यम से शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो बीमित व्यक्ति शिकायत अधिकारी से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकता है: इकिनॉक्स बिज़नेस पार्क, टॉवर 3, आंबेडकर नगर, दूसरी मंज़िल, यूनिट नंबर 1बी और 2बी, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070, महाराष्ट्र, भारत। शिकायत अधिकारी के अद्यतन विवरण के लिए, कृपया https://www.magmaininsurance.com/grievance-redressal लिंक देखें। यदि आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सीधे IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल - बीमा भरोसा प्रणाली - https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप अभी भी निर्णय/समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायत दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद, आप बीमा लोकपाल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अद्यतन स्थिति के लिए, कृपया www.irdai.gov.in या https://www.cioins.co.in वेबसाइट देखें। बीमा लोकपाल कार्यालयों के संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। शिकायत IRDAI एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली: https://bimabharosa.irdai.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है।	धारा 4.1.16
12	ध्यान रखने योग्य बातें	• निःशुल्क अवलोकन: पॉलिसी दस्तावेज़ प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपके पास इस पॉलिसी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने का समय है। • पॉलिसी नवीनीकरण: बीमित व्यक्ति द्वारा स्थापित धोखाधड़ी, अप्रकटीकरण या गलतबयानी के आधार को छोड़कर पॉलिसी का नवीनीकरण सामान्यतः किया जा सकेगा। • स्थानांतरण और पोर्टेबिलिटी: आप अपनी मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को किसी अन्य कंपनी या मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के मौजूदा उत्पाद से स्थानांतरित या पोर्ट कर सकते हैं।	धारा 4.1.15 धारा 4.1.10 धारा 5.2

क्रमांक	शीर्षक	विवरण	पॉलिसी खंड संख्या
		बीमित राशि में परिवर्तन: बीमित राशि में परिवर्तन (वृद्धि/कमी) केवल नवीनीकरण के समय या किसी भी समय, कंपनी द्वारा अंडरराइटिंग के अधीन, किया जा सकता है। एसआई में वृद्धि के लिए, यदि कोई प्रतीक्षा अवधि है, तो वह केवल बीमित राशि के बढ़े हुए हिस्से के लिए नए सिरे से शुरू होगी।	धारा 4.1.8, 4.1.9
		अधिस्थगन अवधि: स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कवरेज (पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन सहित) के लगातार साठ महीने पूरे होने के बाद, बीमाकर्ता द्वारा अप्रकटीकरण, गलतबयानी के आधार पर, स्थापित धोखाधड़ी के आधार को छोड़कर, किसी भी पॉलिसी और दावे पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी। लगातार साठ महीनों की इस अवधि को अधिस्थगन अवधि कहा जाता है। यह अधिस्थगन पहली पॉलिसी की बीमित राशि पर लागू होगा। जहां भी बीमा राशि बढ़ाई जाती है, वहां केवल बढ़ी हुई सीमा पर ही बीमा राशि में वृद्धि की तिथि से लगातार साठ महीने पूरे होने पर ही यह लागू होगा।	धारा 4.1.12
13	आपका दायित्व	- जानकारी का प्रकटीकरण: पॉलिसीधारक द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का गलत विवरण, गलत विवरण या प्रकटीकरण न करने की स्थिति में पॉलिसी रद्द हो जाएगी और उस पर भुगतान किया गया पूरा प्रीमियम कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (स्पष्टीकरण: इस पॉलिसी के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य का अर्थ कंपनी द्वारा प्रस्ताव पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों में मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारी होगी ताकि वह जोखिम की अंडरराइटिंग के संदर्भ में सूचित निर्णय ले सके)। - कृपया पॉलिसी खरीदने से पहले सभी पूर्व-मौजूदा बीमारियों या स्थितियों का खुलासा करें। प्रकटीकरण न करने से दावे के निपटान पर असर पड़ सकता है।	धारा 4.1.1

कानूनी अस्वीकरण नोट: जानकारी को उत्पाद ब्रोशर और पॉलिसी दस्तावेज के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सीआईएस और पॉलिसी दस्तावेज के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, पॉलिसी दस्तावेज में उल्लिखित नियम और शर्तें लागू होंगी। दस्तावेज <https://www.magmainurance.com/downloads> पर उपलब्ध हैं।

पॉलिसी धारक द्वारा घोषणा:

मैंने उपरोक्त पढ़ लिया है और विवरणों को नोट करने की पुष्टि करता/करती हूँ।

स्थान: _____

दिनांक: _____

(पॉलिसी धारक के हस्ताक्षर)